दिनांक–17.04.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 22 क पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 22 क

प्रार्थीगण/अपीलांटगण की ओर से प्रार्थनापत्र 22 क इस आशय का दिया गया है कि अपीलार्थी सं० 1 सुंदरलाल का दिनांक–10.11.2021 को दौरान अपील स्वर्गवास हो गया है, सुन्दरलाल की पत्नी का स्वर्गवास सुन्दरलाल मृतक के जीवनकाल में हो गया है। मृतक के तीन पुत्र है जो व्यस्क है और अन्य कोई वारिस नहीं है। उक्त अपील अदमपैरवी में खारिज हो गयी थी और दौरान प्रकीर्ण वाद सं० 81/2021 में मृतक के वारिसान कायम किये गये थे। मृतक के वारिसान समय के अंदर कायम किये गये थे। चूँकि प्रकीर्ण वाद सं० 81/2021 के द्वारा सिविल अपील सं० 161/2017 पुर्नस्थापित हो चुकी है। इस कारण अपील में मृतक सुंदरलाल के वारिसान कायम करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त वाद/अपील में संशोधन किये जाने की याचना की है।

प्रत्यर्थी/रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से प्रार्थनापत्र के माध्यम से अपील में अपीलार्थी सं० –1 सुन्दरलाल का दिनांक–10.11.201 को मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान अपीलकर्ता 1/1 ता 1/3 को अपील में प्रतिस्थापित किये जाने व मद सं० 21 के बाद मद सं० 22 कायम किये जाने की याचना की गयी है। प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत मामले में विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने से मुकदमें का अन्तिम रूप से निस्तारण समस्त पहलुओं को देखते हुये किया जा सकता है और पक्षकार बनाये जाने से नैसर्गिक न्याय की भी पूर्ति होती है। प्रत्यर्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः प्रार्थनापत्र का०सं० 22 क न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 22 क स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थीगण आवश्यक संशोधन नियमानुसार अन्दर 7 दिन करें। नवीन कायम होने वाले पक्षकारगण को नोटिस जारी हो। नियमानुसार पैरवी की जाये। पत्रावली वास्ते बहस/सुनवाई हेतु दिनांक –––––––– को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
न्यायालय संख्या 06, मथुरा